बाल विकास एवं पोष्टाहार	•आंगनबाड़ी की संख्या •आंगनबाड़ी में उपलब्ध सुविधायें •कुपोषित बच्चों की संख्या		
गरीबों, वृद्ध व्यक्तियों			
ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का रख–रखाव			
पौध रोपण : सामाजिक वानिकी			

➢ **क्षेत्र 2–संरचनात्मक ढांचा का पारिस्थितिक विश्लेषण**

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
गॉव में रोड और नालियों का निर्माण और रख–रखाव			
अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण			
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख–रखाव			
हैण्डपम्प			
ए0एन0एम0 सब–सेन्टर			
पंचायत भवन, गॉधी चबूतरा,			

बारात घर, चौपाल			
ग्रामीण बाजार			
कूड़ा–कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ाघर और कूड़ा गड्ढा			
ग्रामीण लाइब्रेरी			

➢ **क्षेत्र 3–आर्थिक विकास क्षेत्र का पारिस्थितिक विश्लेषण**

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
कृषि में सहायता–कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए लाभार्थियों का चयन			
मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के माध्यम से कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना			
स्वयं के रोजगार के लिए ग्रामीणों की सहायता करना			
हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण करना			
फलों के खेती			

(Horticulture) में सहयोग			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि			

➢ **क्षेत्र 4–संवेदनशील क्षेत्रों का पारिस्थितिक विश्लेषण**

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर संरचनात्मक धनराशि का निर्धारण (प्रथक से निर्धारण)			
एन0एस0ए0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत वंचित समुदाय के लाभार्थियों का चयन			
अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों का निर्धारण			
अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को पुरस्कृत करना और छात्रवृत्ति			
सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों/गरीबों/अल्पसंख्यकों को सही तरीके से प्राथमिकता देना			
सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रधानों को पुरस्कृत करना			

➢ **क्षेत्र 5–लागत रहित विकास से संबंधित परिस्थितियों का विश्लेषण**

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसबिलिटी (CSR)			
श्रमदान			

अक्षम को समुदाय द्वारा सहायता			
सामाजिक विसंगतियों पर कार्य करना जैसे दहेज, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि			
झगड़ों/वाद–विवाद का निपटान			
ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सहायता देना ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें			

- **पंचायतों के आधारभूत आंकड़ें हेतु प्रारूप–** परिशिष्ट–ख में दिये गये प्रारूप पर ग्राम पंचायतें पंचायतों के आधारभूत आंकड़ों का संकलन करेंगी।

- **सुझाव/मांग/आवश्यकताओं का संग्रह हेतु प्रारूप–**

ग्राम पंचायत का नाम :				
क्षेत्र पंचायत का नाम :				
जिला पंचायत का नाम :				
क्र.सं.	**प्रस्तावक**	**प्रस्ताव**	**प्रस्ताव की प्रकृति लाभार्थीपरक/संरचनात्मक**	**अपेक्षित लाभ**

- ग्राम/वार्ड स्तर पर प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु पी0आर0ए0 सहजकर्ताओं के समूह का निर्माण निम्नलिखित तौर पर किया जायेगा।

टीम लीडर	ग्राम/वार्ड पंचायत
पी0आर0ए0 सहजकर्ता	02 व्यक्ति (रिर्सोस ग्रुप)

नोट ट्रेकर	01 व्यक्ति (रिर्सोस ग्रुप)
सुपरवाईजर	प्रभारी अधिकारी
सहायक	विभिन्न विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी (सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, एनजीओ आदि)

- ग्राम पंचायत अधिकारी चार्ज आफिसर के रूप में नियुक्त किये जायेगें जिनके द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु पीआरए गतिविधियों का संचालन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

सहभागी नियोजन

सहभागी नियोजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा समुदाय जागरूक होकर सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्याओं का निदान खेजेगा एवं इन समस्याओं का समाधान भी ढूढ़ेगा। सहभागी नियोजन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

- वार्ड सदस्य द्वारा नागरिकों हेतु वार्ड स्तरीय बैठक
- नुक्कड़ सभाएं
- महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों से सम्पर्क किया जाना
- दीवार लेखन एवं स्पीकर से प्रचार–प्रसार
- रैली एवं पदयात्रा
- सम्बन्धित विभाग के कार्यकर्ता जैसे आशा, ए0एन0एम0, ऑगनवाड़ी प्रेरकों आदि का उपयोग किया जायेगा।
- प्रांतीय रक्षादल युवाओं, नेहरू युवा केन्द्र कार्यकर्ताओं एवं भारत निर्माण स्वयं सेवकों का भी उपयोग किया जायेगा।
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीगण।

5 आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना

1) प्राथमिकीकरण

- ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करने हेतु ग्राम सभा की बैठक बुलाई जायेगी। सभी वार्ड सदस्यों द्वारा वार्ड स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं का आंकलन कर ग्राम सभा में रखा जा सकता है।
- पारिस्थितिक विश्लेषण रिपोर्ट को ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही साथ जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यो का चिन्हीकरण किया जायेगा। ग्राम सभा में पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी दी जायेगी इसके उपरान्त जन समान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा परिस्थितिक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण किया जायेगा।
- सभी विकासात्मक आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण ग्राम सभा की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार ही किया जायेगा।
- कार्यों का प्राथमिकीकरण निम्नलिखित विषयों के आधार पर किया जा सकता है:–
  - ✓ विभिन्न विषयों के द्वितीय/सहयोगी आंकडों का संदर्भ ग्रहण करना।
  - ✓ गरीब परिवारों की अवश्यकतायें को ध्यान में रखना।
  - ✓ समुदाय का एकमत होना।
  - ✓ संसाधनों की उपलब्धता।
  - ✓ तकनीकी औचित्य/सम्भाव्यता।

- प्राथमिकतावार कार्यों का विवरण हेतु निम्नलिखित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा–

ग्राम पंचायत का नाम :
क्षेत्र पंचायत का नाम :
जिला पंचायत का नाम :
वर्ष.....

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्य का क्षेत्र	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	लाभार्थी अंश	योजना का परिव्यय (सामान्य / एस. सी. / एस.टी.)

2) परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत वर्णित सभी कार्यों की परियोजना तैयार करनी होगी। परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया जायेगा–

1–परियोजना का नाम।

2–तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन की दिनांक।

3–परियोजना की उपयोगिता एवं योजना का संक्षिप्त विवरण साथ ही साथ लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण भी दिया जायेगा।

4–लागत मूल्य जिसमें तकनीकी लागत सम्मिलित होगी (तकनीकी लागत की सूची को संलग्न किया जायेगा) एवं साधनों का विवरण।

5–परियोजना की क्रियान्वयन की समय सारणी।

6–परियोजना का परिणाम।

7– अनुश्रवण एवं रख–रखाव प्रणाली का विवरण भी दिया जायेगा।

8– निर्माण किये जाने वाले कार्यों का लगाातार पुनर्निरीक्षण, अनुश्रवण ग्राम पंचायत निर्माण कार्य समिति द्वारा किया जायेगा।

- परियोजना का चिन्हीकरण निम्नलिखित प्रारूप पर किया जायेगा–

ग्राम पंचायत की वार्षिक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

वर्ष .....

ग्राम पंचायत का नाम :				
क्षेत्र पंचायत का नाम :				
जिला पंचायत का नाम :				
क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**परियोजना का विवरण**	**प्रस्तावित व्यय**	**परियोजना से अपेक्षित लाभ**

6 ग्राम पंचायत विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

1– ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमीकरण करने के उपरान्त ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जायेगी, बैठक में सचिव एवं पंचायत अधिकारियों के साथ–साथ सभी सम्बन्धित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा कुछ विशेषज्ञ पंचायत एवं स्वशासीय निकायोंसे भी प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किये जा सकते है। सभी आवश्यकताओं एवं कार्यों के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया जायेगा। ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों की सहायता से एक सप्ताह के अन्दर राज्य में प्रचलित दरों के अनुसार सभी कार्यों का अनुमानित आंकलन तैयार किया जायेगा।

2– ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लिए गये कार्य की तुलना में 150 प्रतिशत कार्य लिए जायेंगें, क्योंकि हो सकता है कि नवकार्यो की विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते समय या किसी अन्य समस्या के कारण प्राथमिकता वाले कार्य न लिए जा सकें। कार्य के चिन्हीकरण एवं अनुमानित आंकलन ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार कर उपलब्ध करा दिया जायेगा। उसके उपरान्त ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी एवं ग्राम सभा की प्राथमिकता तथा रिसोर्स इन्वलप के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना का एक ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा।

3– ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।

4–ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात् कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा। एक श्रेणी में वह कार्य किये जायेंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किये जायेंगे और दूसरी श्रेणी में सभी अन्य कार्य ब्लाक तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किये जायेंगे। यदि तकनीकी अधिकारियों की कमी होती है तो राज्य सरकार द्वारा तकनीकी संस्थाओं का का इनपैनलमेन्ट किया जायेगा।

5– ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जायेगा।

- **वार्षिक कार्ययोजना में लिए गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण हेतु प्रारूप**

परियोजना वर्ष :
ग्राम पंचायत का नाम :
क्षेत्र पंचायत का नाम :
जिला पंचायत का नाम :
वर्ष.....

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना	घटक का नाम	प्रस्तावित धनराशि			समुदाय का सहयोग	स्वयं की आय
				सामान्य (नॉन एस.सी. स्पेशल कम्पोनेन्ट / एस. टी. स्पेशल कम्पोनेन्ट)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		

- ग्राम पंचायत विकास योजना निम्नलिखित प्रारूप पर चिन्हित की जायेगी–

ग्राम पंचायत विकास योजना

अनुकमणिका

1) परिचय :

2) ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण :

3) पंचायत का विजन स्टेटमेन्ट :

4) पारिस्थितिकी विश्लेषण का विवरण :

5) बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रतिभागियों की सूची

6) ग्राम पंचायत योजना में लिए गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण :

   (क) ग्राम पंचायत योजना में लिए गये कार्यों का विस्तृत विवरण

   (ख) पंचायत के स्रोतों द्वारा लिए गये कार्यों का विवरण

   (ग) लाइन विभाग के स्रोतों द्वारा लिए गये कार्यों का विवरण

7) क्षेत्रवार विवरण :

   (क) टाईड कम्पोनेन्ट (क्षेत्रवार अपेक्षित आवंटन के सापेक्ष सुनियोजित परिव्यय) :

   (ख) अनटाईड कम्पोनेन्ट (अपेक्षित आवंटन) :

8) योजनावार अपेक्षित आवंटन के सापेक्ष सुनियोजित परिव्यय :

9) कार्य का विवरण (योजनावार) :

10) अन्य बिन्दु :

7 तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

1. रू0 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना को टुकड़ों मे विभाजित नहीं किया जायेगा।
2. रू0 50,001 से रू0 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
3. रू0 250001 से रू0 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. रू0 500001 से उपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. बिन्दु 2 से सम्बन्धित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. बिन्दु 3 से 4 तक से सम्बंधित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।

खण्ड/जिला स्तर पर नामित तकनीकी अभियन्ता, कार्ययोजनावार तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन सम्बधि आंकडों का संकलन एवं रख–रखाव निम्नलिखित रूपपत्र पर करेंगें:–

क्रम सं0	कार्य का नाम/व्यय का विवरण	तकनीकी अनुमोदन, नं0 तथा दिनांक	बजट	प्रशासनिक स्वीकृति, नं0 तथा दिनांक	वित्तीय स्वीकृति, नं0 तथा दिनांक	बजट हेड/फंड के साधन	टिप्पणी

- जिला योजना प्रबन्धन इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सभी ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर अपलोड करेंगी।

8 योजना उपरान्त प्रबन्धन

1. ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन तथा स्वशासन हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार तथा विभाग द्वारा मार्ग दर्शिका तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

2. पंचायत स्तर पर उपलब्ध फंड का उपयोग, फंड का प्रवाह तथा खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

3. ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समितियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

4. ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने के दौरान विभिन्न गतिविधियॉ यथा सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण, पारिस्थितिक विश्लेषण पर चर्चा, आवश्यकताओं का प्राथमीकीकरण हेतु की गई ग्राम सभा तभा ग्राम पंचायत की बैठको की कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

5. सम्बन्धित विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायत कर्मियों को योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में शामिल करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जायेगा ताकि विशिष्ट जिम्मेदारियों को अंकित करते हुए उनका मूल्यांकन किया जा सके।

6. उचित माध्यमों द्वारा ग्राम पंचायतों को समय–समय पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताने के लिए उचित निर्देश जारी किये जायेंगे।

7. सामाजिक लेखा परीक्षण (सोशल ऑडिट) का प्राविधान किया जायेगा।

8. विकास खण्ड एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

9 नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम

1. प्लान प्लस साफ्टवेयर पर (www. ***planning***online.gov.in) ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन साफ्टवेयर से अनुश्रवण किया जायेगा।

2. एक्शन साफ्ट साफ्वेयर (www.reportingonline.gov.in) पर हर एक कार्य का विवरणफीड किया जाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार पंचायतों के साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य किये जाने हेतु लैपटाप एवं स्मार्ट फोन की व्यवस्था करेगी। एक्शन साफ्ट साफ्टवेयर के माध्यम से ग्राम पंचायत के सभी कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा।

3. एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है (विवरण परिशिष्ट–क पर है) जिनके अध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन हैं। उच्च शक्ति प्राप्त समिति त्रैमासिक बैठक करेगी जिसमें नीति विषयक एवं क्रियान्वयन की स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा।

4. राज्य स्तर पर एक राज्य रिसोर्स ग्रुप का गठन किया गया है(विवरण परिशिष्ट–क पर है) जो पंचायतों की सहायता एवं लगातार राज्य स्तर से विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण करेगी ।

5. राज्य स्तर पर एक हेल्प लाईन का गठन किया जायेगा जो पंचायतों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी।

6. राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायत की तकनीकी सहायता, प्रोजेक्ट बनाने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए शासनादेश जारी किया जायेगा।

7. एक क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप का गठन किया जायेगा जिसका उद्धेश्य ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना होगा।

8. जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे एवं संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

9. सभी कार्यक्रमों की धनराशि पंचायत को सीधे ई–ट्रांसफर से उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
10. तकनीकी संस्थाओं एवं प्रबन्धन संस्थानों से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में आवश्यक्तानुसार सहायता ली जायेगी।
11. तकनीकी सहायता हेतु प्राइवेट इन्जीनियर की भी सहायता लिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

10 परिशिष्ट–(क)

समितियों एवं विभिन्न ग्रुपों का गठन एवं दायित्व चार्ट

क्र0सं0	समिति / ग्रुप	समिति के सदस्य	दायित्व
1–	उच्च शक्ति प्राप्त समिति	शासनादेशसंख्या 182418 / 33–3–2015–10 जी0आई0 / 2015 लखनऊ दिनॉक 26 जून 2015 से गठित समिति निम्न प्रकार से है। 1–कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन– अध्यक्ष, 2–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग उपाध्यक्ष 3–प्रमुख सचिव, वित्त विभाग सदस्य 4–प्रमुख सचिव नियोजन विभाग सदस्य 5–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग सदस्य 6–प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वा0 सदस्य 7–प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल वि0 विभाग सदस्य 8–आयुक्त ग्राम्य विकासविभाग सदस्य 9–निदेशक पंचायती राज विभाग	राज्य स्तर से ग्राम पंचायतो को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण से सम्बंधित कार्य तथा भारत सरकार स्तर पर सचिव कान्फ्रेस मे लिए गये निर्णयों,फालोअप, क्रियान्वयन एवं परिपालन कराया जायेगा।

		सदस्य सचिव	
2–	राज्य स्तरीय रिसोर्स ग्रुप	शासनादेश संख्या 1824/(11)/33–3–2015–10 लखनऊ दिनॉक 26 जून 2015 से गठित समिति निम्न प्रकार से है। 1. अपर निदेशक पंचायती राज –अध्यक्ष 2.उपनिदेशक पं0 लखनऊ मण्डल–सदस्य, 3 स्टेट कन्सल्टेंट– सदस्य, 4.संयुक्त आयुक्त (मनरेगा प्रकोष्ठ) कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग– सदस्य 5 शोध अधिकारी नियोजन विभाग सदस्य 6.प्रचार प्रशिक्षण अधिकारी दी0द0उ0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान सदस्य	राज्य स्तर से ग्राम पंचायतो को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण से सम्बंधित कार्य तथा भारत सरकार स्तर पर सचिव कान्फ्रेस मे लिए गये निर्णयों,फालोअप, क्रियान्वयन एवं परिपालन कराया जायेगा।
3–	जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति	जिलाधिकारी–अध्यक्ष, जिला पंचायत राज अधिकारी–सदस्य सचिव एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य	जिला स्तर पर निर्धारित नीतिगत निर्णयों का संचालन एवं समन्वयन।
4–	क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप	सहायक विकास अधिकारी(पं0)–अध्यक्ष, खण्ड स्तर पर तैनात सभी विभागों के तकनीकी अधिकारीगण–सदस्य	ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित प्रोजेक्ट के असिस्टेन्ट तैयार कर ग्राम पंचायतों को

			उपलब्ध कराना, तकनीकी प्रबन्धक तैयार कराना।
5–	ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप–क्लस्टर स्तर पर	चार्ज अधिकारी–हेड क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सचिव सदस्य, कार्यरत विभागों के क्षेत्रीय स्टाफ एवं दो रिसोर्स व्यक्ति	अपने अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराना, पस्थितीय विश्लेषण तैयार कराना। सहभागी नियोजन, योजना निर्माण, क्षमता संवर्धन के लिए रणनीति तैयार कराना,
6–	ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप	ग्राम पंचायत सचिव–अध्यक्ष, समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी–सदस्य एवं ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात तकनीकी अधिकारी–सदस्य	ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये कार्य हेतु स्टीमेट तैयार करना एवं तकनीकी प्रस्ताव तैयार करना।

11 परिशिष्ट–ख

ग्राम पंचायत प्रोफाइल प्रारूप

- ग्राम पंचायत का नामः
- विकास खण्ड का नामः
- जनपद का नामः
- ग्राम पंचायत की खण्ड मुख्यालय से दूरीः
- ग्राम पंचायत की पक्की/मुख्य सडक से दूरीः
- ग्राम पंचायत की सिविल अस्पताल से दूरीः
- ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफलः
- औसत जमीन प्रति परिवारः
- ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी का मोबाइल नं0ः
- ग्राम प्रधान का मोबाइल नं0ः

परिवारों का विवरण

- कुल जनसंख्याः
- कुल घरों की संख्याः
- घरों के प्रकार

कच्चा	पक्का	कच्चा–पक्का	झोंपडी

- ए0पी0एल0 परिवारों की संख्याः
- बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या
- लिंग अनुपातः
- साक्षरता दरः
- धर्म

हिन्दू	मुसलमान	सिख	ईसाई	बौद्ध	अन्य

- जातिगत संरचनाः

क्रम संख्या	जाति	ए0पी0एल		बी0पी0एल0		कुल योग
1	अनुसूचित जाति	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	
2	अनुसूचित जनजाति					
3	अन्य पिछडा वर्ग					
4	सामान्य					

- भौगोलिक क्षेत्र (हेक्टेयर/बीघा)

खेती योग्य भूमि		चरागाह	वन भूमि	बंजर/उसर जमीन	अन्य	कुल
सिंचित	असिंचित					

- सिंचाई के साधन

सिंचाई के साधन	सिंचित भूमि
न्हर	
पम्प सेट	
त्लाब	
ट्यूबवेल	

वर्ष	
अन्य	

- अधिसम्पत्ति का विवरण

बडे कृषक	मध्यम कृषक	छोटे कृषक	खेती मजदूर	भूमिहीन	कुल

- खेती का तरीका

खेती के प्रकार	फसल के प्रकार	कुल बोया क्षेत्र	कुल बीमा की हुई फसल
रबी			
खरीफ			
जैद			

- पीने के पानी के स्रोत

	इण्डिया मार्क 2 हैण्डपम्प	कम गहरे हैण्डपम्प	कुआं	पी.एच.डी. स्टैण्ड पोस्ट	नदी	नहर	तालाब
संख्या							
परिवारों की संख्या							

- आय के स्रोत

आय के स्रोत	कुल सम्मिलित ग्रामवासी	कुल सम्मिलित परिवार
खेती		
खेतीहर मजदूर		
गैर–खेतीहर मजदूर		
व्यवसाय		
नौकरी		
अन्य स्पष्ट करें		

- सरकारी / गैर सरकारी सुविधायें

क्रम संख्या	सुविधायें		हॉ / नहीं	संख्या	दूरी	प्रकार	संपर्क
	विद्यालय	**सरकारी**					
1		प्राथमिक					
2		अपर प्राथमिक					
3		हाई स्कूल					
		प्राइवेट					
4		प्राथमिक					
5		अपर प्राथमिक					
6		हाई स्कूल					
7	सामुदायिक केन्द्र						

8	धार्मिक बिल्डिंग	मन्दिर					
9		मस्जिद					
10		गुरूद्वारा					
11		चर्च					
12		बौद्ध मन्दिर					
13	बिजली व्यवस्था	परिवारों की संख्या					
14	राशन की दुकान						
15	टेलीफोन नेटवर्क						
16	पोस्ट ऑफिस						
17	किराना की दुकान						
18	पोलिस स्टेशन / चौकी						
19	स्वास्थ्य सुविधा	हेल्थ सब सेंटर					
20		पी.एच.सी.					
21		ए.एन.एम.					

22		आशा					
23		प्राइवेट					
24		जानवरों का क्लीनिक					
25	एम्बुलेंस						
26	सडक व्यवस्था (कच्चा / अ ार.सी.सी. / पक्का / खडण्जा)						
27	पानी निकासी की व्यवस्था						
28	स्ट्रीट लाइट						
29	अन्य						

- ग्राम स्तरीय संगठन

क्रम संख्या	संगठन का प्रकार (वित्तीय / स्वयं सहायता समूह / समुदाय आधारित	सदस्यों की संख्या	कार्यक्षेत्र	पता	टेलीफोन नं0	टिप्पणी

	संगठन / स्वैच्छिक संस्थायें)					

- वित्तीय संस्थायें

क्रम संख्या	संस्था का प्रकार (स्वयं सहायता समूह / बैंक आदि)	पता	टेलीफोन नं0	ग्राम पंचायत से दूरी	ग्राम पंचायत के बैंक में खाताधारकों की संख्या

- स्वच्छता सुविधायें

क्रम संख्या	शौचलय अनउपस्थित कुल परिवारों की संख्या	शौचलय उपस्थित कुल परिवारों की संख्या	स्वंनिर्मित शौचालयों के परिवारों की संख्या	सरकार सहायतित शौचालयों वाले परिवारों की संख्या

- विद्यालय स्वच्छता

क्रम संख्या	प्रकार	शौचालय (हॉ / नहीं)	लडके / लडकियों के लिए पृथक शौचालय (हॉ / नहीं)	लडके / लडकियों के लिए पृथक शौचालय / मूत्रालय (हॉ / नहीं)	बाल मैत्री शौचालय डिजाइन (हॉ / नहीं)	शौचलयों पर चित्रों एवं स्लोगन का लेखन

	सरकारी					
1	प्राथमिक					
2	अपर प्राथमिक					
3	हाई स्कूल					
	प्राइवेट					
4	प्राथमिक					
5	अपर प्राथमिक					
6	हाई स्कूल					

- आंगनबाडी स्वच्छता

क्रम संख्या	आंगनबाडी की संख्या	बच्चों की संख्या		शौचालय (हॉ / नहीं)	बाल मैत्री शौचालय डिजाइन (हॉ / नहीं)	शौचलयों पर चित्रों एवं स्लोगन का लेखन
		लडके	लडकियॉ			

- आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का विवरण

क्रम संख्या	आंगनबाडी कार्यकत्री का नाम	सम्पर्क	आंगनबाडी सहायिका का नाम	सम्पर्क

- विद्यालय में कुल छात्र/छात्राओं की संख्या

क्रम संख्या	प्रकार	छात्रों की संख्या			संपर्क व्यक्ति	फोन नं0
		लडके	लडकियॉ	कुल		
	सरकारी					
1	प्राथमिक					
2	अपर प्राथमिक					
3	हाई स्कूल					
	प्राइवेट					
4	प्राथमिक					
5	अपर प्राथमिक					
6	हाई स्कूल					

- ग्राम पंचायत तथा आस–पास में उपस्थित रोजगार के साधन

क्रम संख्या	अवसर	ग्रम पंचायत में	आस–पास के क्षेत्र में
1	मजदूरी		
2	खेतीहर मजदूरी		
3	व्यवसाय		
4	नौकरी		
5	सामान ढोना		
6	अन्य		

- ग्राम पंचायत में पशुओं की संख्या

क्रम संख्या	पशुओं का प्रकार	संख्या	उद्देश्य
1	गाय		
2	भैंस		
3	बैल		
4	बकरी		
5	अन्य		